

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए खर्चों के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्तीय लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, जहां आवश्यक हो, व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

46 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध 2013-14 के दौरान वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	39,589.62	2,312.68	41,902.30	36,022.03	(-)5,880.27
	II पूंजीगत	14,160.14	702.16	14,862.30	10,368.25	(-)4,494.05
	III ऋण एवं अग्रिम	1,083.55	5.74	1,089.29	775.61	(-)313.68
कुल दत्तमत		54833.31	3,020.58	57,853.89	47,165.89	(-)10,688.00
भारित	IV राजस्व	7,086.35	10.00	7,096.35	5,945.77	(-)1,150.58
	V पूंजीगत	63.00	0	63.00	61.81	(-)1.19
	VI लोक ऋण - पुनर्भुगतान	13,104.90	0	13,104.90	8,077.26	(-)5,027.64
कुल भारित		20,254.25	10.00	20,264.25	14,084.84	(-)6,179.41
आकस्मिक निधि से विनियोजन		--	--	--	--	--
कुल योग		75,087.56	3,030.58	78,118.14	61,250.73	(-)16,867.41

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 80.71 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 6,495.46 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

₹ 3,030.58 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों द्वारा मूल प्रावधान का चार प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में 10 प्रतिशत था।

₹ 16,867.41 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व खंड के अंतर्गत 44 अनुदानों, पूंजीगत खंड के अंतर्गत 19 अनुदानों और ऋण खंड के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुनः अदायगियां) में ₹ 17,197.08 करोड़ की बचतों तथा राजस्व खंड के अंतर्गत एक अनुदान और पूंजीगत खंड के अंतर्गत एक अनुदान में ₹ 329.67 करोड़ के आधिक्य के कारण थी। ₹ 329.67 करोड़ के आधिक्य का संविधान की धारा 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित है।

बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोजन लेखे), नियंत्रण अधिकारियों को महत्वपूर्ण अंतरों के कारण स्पष्ट करने के लिए सूचित किए गए थे (अगस्त 2014) लेकिन उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2014)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटनों की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 24 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (परिशिष्ट 2.1)। ₹ 65,221.25 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, वास्तविक व्यय ₹ 48,948.71 करोड़ था तथा बचतें ₹ 16,272.51 करोड़ थी। पांच अनुदानों शीर्षक- 9 शिक्षा (राजस्व दत्तमत), 15-स्थानीय शासन (राजस्व दत्तमत), 6-वित्त (राजस्व भारित), 23-स्वायत्त एवं आपूर्ति (पूंजीगत दत्तमत) तथा लोक ऋण, में बचतें ₹ 500 करोड़ से अधिक थी।

2.3.2 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन अनुदानों तथा एक विनियोजन ने ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें दर्शाई तथा जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (तालिका 2.2)।

तालिका 2.2: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता (बचत की राशि)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व (दत्तमत)						
1.	04 - राजस्व	33 (179.31)	22 (273.17)	47 (421.74)	39 (358.99)	33 (325.49)
2.	24 - सिंचाई	09 (366.75)	27 (311.48)	30 (409.81)	27 (375.55)	25 (382.54)
पूँजीगत (दत्तमत)						
3.	45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	44 (653.58)	55 (880.53)	46 (532.72)	41 (366.19)	29 (313.67)
पूँजीगत (भारित)						
4.	लोक ऋण	43 (2,032.39)	41 (3,226.08)	37 (2,944.26)	40 (4,250.68)	38 (5027.64)

अनुदान संख्या 4 - राजस्व के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष “2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02 - बाढ़, साइक्लोन इत्यादि, 101 - निःशुल्क राहत, 97 - बीज, खाद तथा कृषीय उपकरणों की आपूर्ति (₹ 60.90 करोड़) में हुई थी। अनुदान संख्या 24 - सिंचाई के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष “2700 - मुख्य सिंचाई, 02 - पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता (₹ 212.08 करोड़) के अंतर्गत हुई तथा अनुदान संख्या 45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बचतें शीर्ष 6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण, 205 - ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 98 - हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण (₹ 193.13 करोड़) के अंतर्गत हुई। बृहद बचतों के कारण राज्य सरकार से मांगे गए थे, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014)।

2.3.3 अधिक व्यय

अनुदान संख्या “24 - सिंचाई” (तालिका 2.3) में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा का अधिक व्यय पिछले पांच सालों से लगातार देखा गया था:

तालिका 2.3: 2009 - 14 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से आधिक्य की प्रतिशतता (अधिक व्यय की राशि)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजीगत - वोटिड						
1.	24 - सिंचाई	12 (177.25)	39 (198.58)	45 (254.64)	53 (275.23)	33 (213.26)

आधिक्य मुख्यतः शीर्ष “4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 06 - जल के समान वितरण हेतु नई माइनर, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी इंजीनियर, 89 - विशेष राजस्व, 92 - सुपरिटेडिंग इंजीनियर, 93 - चीफ इंजीनियर, 88 - पेंशनरी प्रभारों”

(₹ 197.10 करोड़) के अंतर्गत हुए। अधिक व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए थे (अगस्त 2014)।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि **परिशिष्ट 2.2** में दिए गए ब्यौरे अनुसार 20 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बगैर तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 516.46 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.5 प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए जरूरी है कि राज्य विधायिका द्वारा अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य विनियमित करवाये जाएं यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय को विनियमित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय विनियमित किया जाता है। फिर भी, 2012-13 हेतु ₹ 428.10 करोड़ की राशि का अधिक व्यय पी.ए.सी. द्वारा चर्चित नहीं किया गया था तथा 2013-14 के दौरान ₹ 329.67 करोड़ भी अभी विनियमित किए जाने शेष थे।

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

20 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 542.29 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे अधिक अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है। अनुदान संख्या 6 (वित्त) में ₹ 229.29 करोड़ के पूरक प्रावधान ₹ 110.38 करोड़ के अधिक व्यय के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुए।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 35 उप-शीर्षों में ₹ 482.20 करोड़ से अधिक के आधिक्य और प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक 58 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,364.70 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं जैसाकि **परिशिष्ट 2.4** में वर्णित हैं। 37-उप शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थी। 27¹ मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुईं क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोजन द्वारा कम किए गए प्रावधानों से

¹ **परिशिष्ट 2.4** की क्र.सं. 3, 7, 10, 11, 13, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 64, 65, 67, 72, 87, 90 तथा 92.

ज्यादा था। इसी तरह, सात² मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान की गई निधियों से ज्यादा थी।

2.3.8 निधियां न सौंपना तथा अधिक सौंपना

वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर, 46 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां सौंपी गईं। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 76,761.50 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 59,982.67 करोड़ था परिणामतः ₹ 16,778.83 करोड़ की बचतें हुईं, जिसमें से ₹ 14,332.63 करोड़ सौंपे गए (परिशिष्ट 2.5) जो अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 15³ मामलों में ₹ 13,599.30 करोड़ की बचतों के विरुद्ध केवल ₹ 10,631.31 करोड़ सौंपे गए तथा ₹ 2,967.99 करोड़ की बचतें नहीं सौंपी गईं जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा को भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरुद्ध था। पांच मामलों⁴ में ₹ 1,622.63 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 1,654.68 करोड़ सौंपे गए परिणामतः ₹ 32.05 करोड़ अधिक सौंपे गए तथा दो मामलों⁵ में यद्यपि वास्तविक व्यय ₹ 323.64 करोड़ तक अधिक थे, परंतु फिर भी ₹ 168.67 करोड़ की निधियां अनुचित रूप से सौंपी गईं।

2.3.9 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय पूरे साल समान रूप से होने चाहिए और अंतिम महीने में व्यय के वेग को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 2.6** में सूचीबद्ध 12 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 17 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक खर्च और वर्ष के लिए कुल खर्च का 50 प्रतिशत से ज्यादा मार्च 2014 में या वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया।

आगे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2013-14 के दौरान 12 अनुदानों के अंतर्गत 17 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 8,906 करोड़ के व्यय में से, ₹ 3,288.63 करोड़ (37 प्रतिशत) का खर्च मार्च 2014 के महीने के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च महीने के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

² **परिशिष्ट 2.4** की क्र.सं. 12, 15, 25, 36, 56, 82 तथा 91.

³ **परिशिष्ट 2.5** की क्र.सं. 1, 4, 6, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 32, 36, 38, 43, 45 तथा 46.

⁴ **परिशिष्ट 2.5** की क्र.सं. 5, 9, 11, 22 तथा 33.

⁵ **परिशिष्ट 2.5** की क्र.सं. 3 तथा 39.

2.4 ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {म.ले. (ले. व हक.)} द्वारा 2013-14 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां नीचे दी गई हैं:

2.4.1 भुगतानों के समर्थन में वाउचरों का अप्रस्तुतीकरण

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 का नियम 3.17 प्रावधान करता है कि ट्रेजरी आफिसरज को सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखा कार्यालय को भेजे जाने हेतु अपेक्षित सभी वाउचर संबंधित मासिक सिविल लेखाओं के साथ अटैच किए जाते हैं। **परिशिष्ट 2.7** के अनुसार ₹ 7.79 करोड़ के 259 वाऊचर मिसिंग पाए गए। म.ले. (ले. व हक.) कार्यालय द्वारा निदेशक खजाना एवं लेखा हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ नियमित पत्राचार तथा संबंधित तिमाहियों में निरंतर दौरों के माध्यम से किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विभिन्न खजाना अधिकारियों से वाउचर अभी भी प्रतीक्षित थे।

2.4.2 ट्रेजरीज द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, 141 मामलों में विभिन्न ट्रेजरीज से लेखे (64 मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा 77 मामलों में भुगतान की दूसरी सूची) चार से छब्बीस दिनों तक की देरी से प्राप्त हुए थे। यद्यपि मात्र 73 प्रतिशत लेखे विभिन्न ट्रेजरीज से समय पर प्राप्त हुए थे। मामला प्रत्येक माह सरकार के ध्यान में लाया गया था किंतु विलंब होना जारी रहा। प्रारंभिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में परिणामी विलंब तथा बाधा हुई। लेखाओं की पहली और दूसरी सूची के प्रस्तुतीकरण में तीन दिन से अधिक के विलंब दर्शाने वाली सूची **परिशिष्ट 2.8 तथा 2.9** में दी गई है। इस कार्यालय को आरंभिक लेखे का समयोचित प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी आफिसरज को निदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.3 प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम प्रस्तुत न करना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 13.5 के अनुसार सभी डिपोजिट लेन-देनों के प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम तैयार किए जाने चाहिए तथा कोषालय के लिए लेखांकन नियम 1992 के नियम 91 तथा 92 में निर्धारित किए गए अनुसार महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परंतु प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम खजाना अधिकारियों द्वारा मासिक लेखाओं के साथ नियमित रूप से तथा समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाते जैसा कि **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, परिणामतः ब्राड शीटस में बकाया शेष है। इस संबंध में ट्रेजरी आफिसरज को सरक्ती से अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.4 नॉन ऑप्रेशनल पर्सनल लेजर अकाउंट्स

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि को डेबिट द्वारा क्रेडिट किए गए पी.एल.एज. को समेकित निधि में संबद्ध सेवा शीर्षों को शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत पर बंद किया जाना चाहिए। नए पी.एल.एज. यदि आवश्यक हो सामान्य ढंग

से अगले वर्ष दोबारा खोले जाने चाहिए। इस संबंध में सभी ट्रेजरी आफिसर को सर्व्त् अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर ₹ 236.78 करोड़ के शेष के साथ 242 पी.एल.एज. थे।

2.4.5 पेंशन/फेमिली पेंशन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान/कम्प्यूटेशन के सवितरण के कारण अधिक भुगतान के विवरण

खजाना राज्य के वित्तीय प्रशासन का आधारभूत यूनिट है। रोकड़ प्रबंधन में रोकड़ की हैंडलिंग तथा धारण में निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का सर्व्त् अनुपालन अपेक्षित है। वर्ष 2012-13 के लिए जिला खजानों सहित उप-खजानों के निरीक्षण ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों/आदेशों की अनुपालना न करने/गलत विवेचना के कारण पेंशनरों/फेमिली पेंशनरों को खजाना अधिकारियों/उप-खजाना अधिकारियों द्वारा ₹ 55.51 लाख के पेंशनरी लाभों का अधिक भुगतान प्रकट किया जैसा कि **परिशिष्ट 2.11** में पेंशन, फेमिली पेंशन के हिस्से की कम्प्यूटिड वैल्यू की कटौती न करने तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का अधिक भुगतान दर्शाया गया है। इसकी प्राथमिकता आधार पर जांच किए जाने की आवश्यकता है।

2.5 योजनागत अनुमानों में कमियां

2013-14 के दौरान योजनागत व्यय हेतु ₹ 18,000 करोड़ का आकलन किया गया था। ₹ 15,712.16 करोड़ का वास्तविक व्यय (87 प्रतिशत) प्रक्षेपणों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

- i. 2013-14 के लिए अनुमोदित प्लान में शामिल की गई ₹ 615.57 करोड़ की अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 59 स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा संशोधित अनुमानों में निकाल दी गई थी (**परिशिष्ट 2.12**)।
- ii. 2013-14 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 23 स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 589.34 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में ₹ 157.06 करोड़ तक कम कर दिया गया था किंतु स्कीमों कार्यान्वित नहीं की गई थी (**परिशिष्ट 2.13**) जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।
- iii. अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय लागत में 61 स्कीमों के अंतर्गत ₹ 293.52 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2013-14 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 2.14**)।
- iv. 32 स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 946.85 करोड़ का प्रावधान ₹ 1,092.12 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 782.33 करोड़ का व्यय किया गया था। पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों से भी कम था (**परिशिष्ट 2.15**)।

- v. वर्ष 2013-14 के दौरान ब.अ./सं.अ. में किसी प्रावधान के बिना दो स्कीमों के विरुद्ध ₹ 9.07 करोड़ का व्यय किया गया था। प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण नहीं दिए गए थे।
- vi. 116 प्लान स्कीमों जिनके निष्पादन के लिए 2013-14 के दौरान ₹ 4,284.13 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 3,065.34 करोड़ तक कम कर दिया गया था। इन स्कीमों पर केवल ₹ 2,240.15 करोड़ का व्यय किया गया था जो **परिशिष्ट 2.16** में दिए गए विवरणानुसार अनुमोदित/संशोधित परिव्यय से बहुत कम था।
- vii. 23 स्कीमों जिनके लिए ₹ 518.93 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमानों में ₹ 604.28 करोड़ तक बढ़ाया गया था किंतु ₹ 706.22 करोड़ का व्यय (मूल प्रावधान का 136.09 प्रतिशत) **परिशिष्ट 2.17** के अनुसार किए गए प्रावधानों से बहुत अधिक था।
- viii. 151 स्कीमों जिनके लिए ₹ 2,117.10 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमानों के साथ-साथ अनुमोदित परिव्यय में किया गया था किंतु ₹ 962.15 करोड़ का व्यय किए गए प्रावधान से बहुत कम था (**परिशिष्ट 2.18**)।

2.6 चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या “15-स्थानीय शासन” तथा अनुदान संख्या “21-महिला एवं बाल विकास”) के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा गत तीन वर्षों के दौरान भिन्नताओं तथा वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई थी (जुलाई-अगस्त 2013)। 2013-14 के लिए इन अनुदानों की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

2.6.1 अनुदान संख्या 15 – स्थानीय शासन

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2,144 करोड़ (मूल: ₹ 2,074 करोड़ तथा पूरक: ₹ 70 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,554.43 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 589.56 करोड़ की बचत हुई जो बजट प्रावधानों के विरुद्ध 27.49 प्रतिशत थी। यह दर्शाता है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किया गया था।

- i. आठ स्कीमों पर ₹ 379.64 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 202.44 करोड़ (53.32 प्रतिशत) का व्यय 2013-14 की अंतिम तिमाही के दौरान इन स्कीमों पर किया गया था। उपर्युक्त आठ स्कीमों में से दो स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय मार्च 2014 के दौरान किया गया था (**परिशिष्ट 2.19**)।
- ii. सात स्कीमों जिनके लिए ₹ 196.29 करोड़ का प्रावधान संशोधन उपरांत घटाकर ₹ 106.76 करोड़ किया गया किंतु वर्ष 2013-14 के दौरान इन स्कीमों पर कोई व्यय नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 2.20**)।

⁶ एस.सी.एस.पी. घटक: ₹ 3.71 करोड़ तथा ए.आई.सी.आर.पी. का 25 प्रतिशत हिस्सा: हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ₹ 5.36 करोड़।

iii. ₹ 1,191.11 करोड़ के बजट प्रावधान तथा ₹ 1,167.64 करोड़ के संशोधित अनुमानों के विरुद्ध नगरपालिकाओं से मांग की प्राप्ति न होने तथा खजानों में डी.डी.ओ. द्वारा बिलों को प्रस्तुत न करने के कारण तीन स्कीमों⁷ के विरुद्ध ₹ 267.68 करोड़ की बचत दर्शाई गई थी।

2.6.2 अनुदान संख्या 21-महिला एवं बाल विकास

वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदानों तथा की गई पूरक मांगों के आधार पर अनुदान संख्या 21 (महिला एवं बाल विकास) के लिए बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं:

i. वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 719.14 करोड़ (मूल: ₹ 695.87 करोड़ तथा पूरक: ₹ 23.17 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 561.23 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामतः ₹ 157.81 करोड़ की बचत हुई।

ii. वर्ष 2013-14 के दौरान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 195.62 करोड़ (मूल: ₹ 188.62 करोड़ तथा पूरक: ₹ सात करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध मात्र ₹ 1.75 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामतः ₹ 193.87 करोड़ (बजट प्रावधान का 99.11 प्रतिशत) की बचत हुई।

iii. 22 स्कीमों पर 2013-14 के लिए ₹ 138.47 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 72.26 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2013-14 (40 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित व्यय) की अंतिम तिमाही के दौरान इन स्कीमों पर किया गया था। इन 22 स्कीमों में से छः स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था (परिशिष्ट 2.21)।

iv. ₹ 723.24 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध 30 स्कीमों में ₹ 369.83 करोड़ की बचत दर्शाई गई थी। परियोजनाओं को फाइनल न करने, भारत सरकार से अनुदान की देरी से प्राप्ति तथा आवेदनों/मामलों की प्राप्ति न होने के कारण मात्र ₹ 353.41 करोड़ का व्यय किया गया था (परिशिष्ट 2.22)।

2.7 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2013-14 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 5 नवम्बर 2012 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, दो अनुदानों (अनुदान संख्या 15 और अनुदान संख्या 21) की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभागाध्यक्षों ने वित्त विभाग को अपने बजट अनुमान 64 तथा 92 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात् प्रस्तुत किए।

⁷ शीर्ष 2217-80-800-75 के अंतर्गत ₹ 153.53 करोड़; शीर्ष 2217-80-192-96 के अंतर्गत ₹ 59.59 करोड़ तथा शीर्ष 2217-80-192-96 के अंतर्गत ₹ 54.56 करोड़।

2.8 निष्कर्ष

2013-14 के दौरान, ₹ 78,118.14 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 61,250.73 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 16,867.41 करोड़ की समग्र बचत, विभिन्न अनुदानों एवं विनियोजन में ₹ 17,197.08 करोड़ की बचत तथा दो अनुदानों में ₹ 329.67 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी। इस वर्ष के अधिक व्यय ₹ 329.67 करोड़ तथा 2012-13 के अधिक व्यय ₹ 428.10 करोड़ को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत रेगुलराइज करने की आवश्यकता थी।

46 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक का सरेंडर) में ₹ 14,332.63 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में सरेंडर किए गए थे। पांच मामलों में ₹ 1,654.68 करोड़ सरेंडर किए गए जो कि वास्तविक बचतों से ₹ 32.05 करोड़ अधिक थे। यह इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है। 15 मामलों में ₹ 13,599.30 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,967.99 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं।

2.9 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- (i) अधिक व्यय के रेगुलराइजेशन के लिए लोक लेखा समिति सचिवालय के साथ मामला उठाना।
- (ii) बृहद् बचतों तथा पूरक प्रावधानों से बचने के लिए सही बजट अनुमान तैयार करना।
- (iii) वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग से बचने के लिए वित्त विभाग द्वारा उपयुक्त यंत्रावली का सूत्रपात करना।